



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243244
CG-DL-E-27012023-243244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]
No. 423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/MAGHA 7, 1944

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2023

का.आ. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह मत है स्थल मानचित्र और संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंचम मेहता नी वाव, वडनगर, जिला मेहसाणा, राज्य गुजरात राष्ट्रीय महत्त्व का प्राचीन स्मारक है;

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के अपने इरादे का एतद्वारा नोटिस देती है;

उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने पर यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, उसे इस अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर, उक्त प्राचीन स्मारक में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001 को प्रेषित किया जा सकता है;

उक्त अधिसूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

[फा. सं. टी-19012/34/2022-स्मा.]

वी. विद्यावती, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2023

S.O. 437(E).—Whereas, the Central Government is of the opinion that the ancient monument namely, Pancham Mehta Ni Vav, Vadnagar, District Mehsana, State Gujarat, is an ancient monument of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection or suggestions, to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any interested person in the said ancient monument; to the Director General, Archaeological Survey of India, 24 Tilak Marg, New Delhi-110001.

The objections or suggestions, if any, received from any person with respect to the said draft notification within the period so specified shall be taken into consideration by the Central Government.

[F. No. T-19012/34/2022-M]

V. VIDYAVATHI, Director General